[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 1/2019 - केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 680(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखंडित करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 680(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 22/2018 - केन्द्रीय कर(दर), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा संशोधित की गई है जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 743(अ), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।